

Form-1
(For Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 01-11-2010

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-FG(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 4.088 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Golim-Pool-Roopa to S.C. village Chalthar at the place Sikoti tok on Chamoli-Palethi-Sartoli motor road. (State Sector), Length 8.00 Km. Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of Dasoli Tehsils.

It is further Certified that :

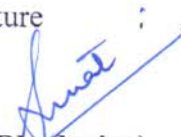
- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.088 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s), Gram sabha (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District level committee are enclosed.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encl: As Above.


District Social Welfare Officer
Chamoli


प्रभागीय वन्याधिकारी
बडीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वरा

Signature


(Swati S. Bhadoriya)
(District Magistrate Chamoli)
बिना अधिकारी
चमोली

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

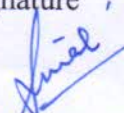
A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 01-11-2018 at time 1.7.00 PM at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 4.088 hect for the Construction of Golim-Pool-Roopa to S.C. village Chalthar at the place Sikoti tok on Chamoli-Palethi-Sartoli motor road. (State Sector), Length 8.00 Km. Forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Dasoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 01-11-2018

Signature



(Swati S. Bhadoriya)
(District Magistrate Chamoli)

प्रपत्र 232

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक स्थान तोक से ग्राम गोलिम-पोल-रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक स्थान तोक से ग्राम गोलिम-पोल-रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.088 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 21.5.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 1- श्री <u>अकेश कुमार सिंह</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>शिवानन्द सुग्गा</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री <u>आर.के. विनोद</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव | |
| 4- श्री <u>सुरेश सिंह पवार</u> | बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत सिकोटी नामक स्थान से गोलिम, रोपा से आ.नु.ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.088 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

Akash
उपजिलाधिकारी
अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी
चमोली

[Signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य

[Signature]
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

[Signature]
बी.डी.सी. क्षेत्र
सदस्य
क्षेत्र पंचायत सदस्य
रांगतोली वि०ख०-दशोली
(चमोली)

परियोजना का नाम : जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में चमोली-पलेठी मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में चमोली-पलेठी मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 4.088 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 4.088 हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 4.088 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

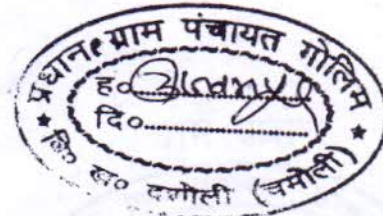


अनापत्ति प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 25/03/2015 को ग्राम पंचायत गोलिम-रोपा की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों को सिफोटी नामक तोक से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं. 8.00 किमी.) के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नहीं है।



ग्राम प्रधान



(नाम) (स्वात)

नन्दन सिंह

जि. प्र. लाल

नन्दन सिंह

सीतादेवी
गीता देवी जग हरी लाल

जि. प्र. लाल
नरेश लाल
जि. प्र. लाल

जि. प्र. लाल (लाल (प्रधान))
जि. प्र. लाल

PHOTOCOPY
ATTESTED

AE
बि. ख. लो. नि. दि.
बि. ख. लो. नि. दि.

आज दिनांक 11.03.15 को ग्राम पंचायत हरमनी की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों को सिफोटी नामक तोक से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं. 8.00 किमी.) के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

① कमल सिंह

② महेन्द्र सिंह

③ रजपाल सिंह

④ मोहन सिंह



PHOTO COPY
MADE

100
AE

ग्राम पंचायत
डा. व. लो. नि. वि.
गोपबंद

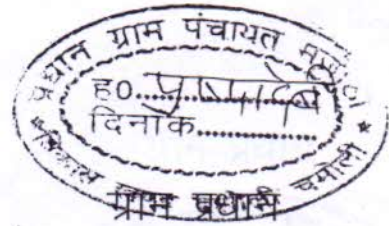
ग्राम प्रधान



अनापत्ति प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 13.03.15 को ग्राम पंचायत ~~सजोषी~~ की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों कों सिफोटी नामक तोक से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं. 8.00 किमी.) के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

1. गोपाल सिंह वर्मा *Gopal Singh*
2. शिशुपाल सिंह वर्मा *Shishupal Singh*
3. सुरेश सिंह वर्मा *Suresh Singh*



PHOTOCOPY
ATTESTED

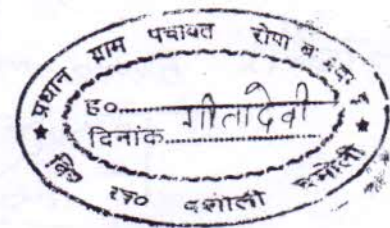
सहायक अभिलेखी
डा. व. लो. नि. वि.
गोपेश्वर

स
से
में
में
में
गी
ग
न
के
ने

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 15.12.15 को ग्राम पंचायत रोपा-वाल्मार्ग की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों को सिफोटी नामक तोक से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं. 8.00 किमी.) के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम प्रधान



Photocopy

Attested

से

प्रमाणित प्रमाणित

वा. व. लो. नि. कि

प्राप्ति

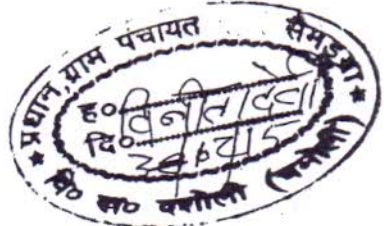
1. प्रमोद सिंह
2. विनय सिंह
3. सुनील सिंह
4. देवेंद्र सिंह
5. जय सिंह
6. हरन सिंह
7. सुकेश
8. प्रकाश सिंह
9. गीतन सिंह
10. गीतन सिंह
11. गीतन सिंह
12. गीतन सिंह
13. गीतन सिंह
14. गीतन सिंह

कि जो रोड को सर्व गोलेम से जालीमारा तक
हुई कि जिसमें की हमारे ग्राम सभा समुदाय, हौसन
बस्ता, व जालीमारा तथा रोपा-चलथर से आनेवाला
रोड पर कोई आपत्ता नहीं लगा रहे है

भारत महोदयजी से निवेदन है, की इस रोड के बायें
की जल्द से जल्द सुरु कर दिया जाये की
हमारे कीजर

ग्राम प्रधान समुदाय

ग्राम प्रधान रोपा-चलथर
की पराजिता देवी
की निवेदन



- 14 जयलिंग
- 15 जयलिंग देवी
- 16 शारदा देवी
- 17 Jeyaraj
- 18 सुनील देवी
- 19 Arjun Kumar
- 20 राजेश्वरी देवी
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100

PHOTOCOPY
ATTESTED
AF

- 1 Himachal Rakesh Lal
- 2 गन-दुलाल
- 3
- 4 सुरेश लाल
- 5 आशाराम
- 6 मुकन्द लाल
- 7 लल्लू लाल
- 8 पुष्कर लाल
- 9 सतीश लाल
- 10 मंगल शालक
- 11 गिरिश चन्द
- 12 मंगल लाल
- 13 वरन्त लाल
- 14 प्रकाश चन्द
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100

परियोजना का नाम:- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

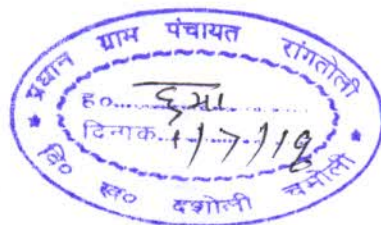
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 4.088 हे० वनभूमि हस्तान्तरण हेतु 4.088 हे० सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदि। जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा केसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि 4.088 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

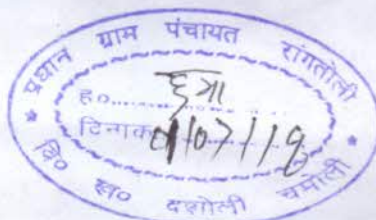
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र - 23.1

दिनांक 01/07/18 को ग्रामसभा रांगतोली की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विष्णुसिंह गुर्जर	
2	मालवरा सिंह	
3	वज्रसिंह	
4	रुद्रसिंह	
5	श्रीधर सिंह	
6	रघुवीर सिंह	
7	रामचंद्र सिंह	
8	पानाम्बर सिंह	
9	शजिमाका सिंह	
10	प्रकाश सिंह	
11	पारवती देवी	
12	प्रकाश देवी	
13	रत्नसिंह	
14	दशरथ	
15	अवतार सिंह	
16	हयसिंह	



परियोजना का नाम:-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

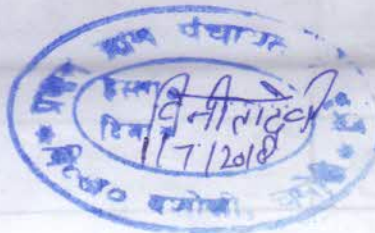
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 4.088 हे० वनभूमि हस्तान्तरण हेतु 4.088 हे० सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिवासी जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि 4.088 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र - 23.1

दिनांक 1-07-2018 को ग्रामसभा 1/7/2018 की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	दौलत सिंह	4545
②	रणजीत सिंह	Ranjit
③	संतोष सिंह	santosh
④	संत सिंह	Sant
⑤	रजपाल सिंह	Rajpal
⑥	पुष्कर लाल	पुष्कर लाल
⑦	सलीख लाल	Salekh Lal
⑧	मुकन्द लाल	Mukund Lal
⑨	आरती देवी	Arati Devi
⑩	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
⑪	लीला देवी	लीला देवी
⑫	सीमा देवी	सीमा देवी
⑬	सुरेन्द्र लाल	सुरेन्द्र लाल
⑭	दिग्मत लाल	दिग्मत लाल
⑮	मोहन लाल	मोहन लाल
⑯	शुभ लाल	शुभ लाल



परियोजना का नाम:-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

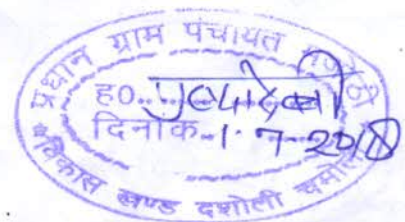
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 4.088 हे० वनभूमि हस्तान्तरण हेतु 4.088 हे० सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण व वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिवासी जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

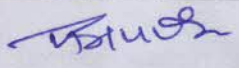
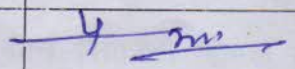
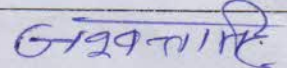
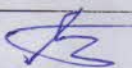
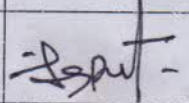
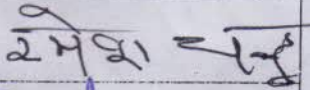
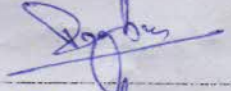
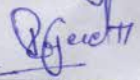
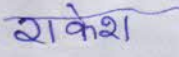
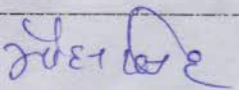
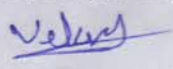
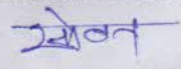
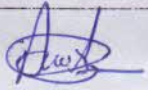
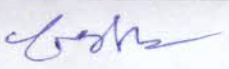
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि 4.088 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

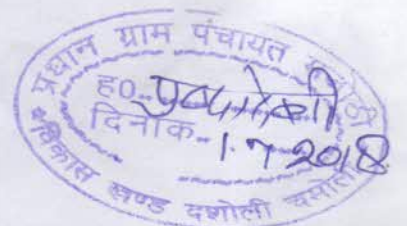
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र - 23.1

दिनांक 01-07-2018 को ग्रामसभा जलेही की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	जलपाल सिंह	
②	प्रेम सिंह	
③	जगन्नाथ सिंह	
④	शिशुपाला सिंह	
(5)	इंद्रप्रत - नवा प्रताप सिंह	
⑥	रमेश चन्द	
⑦	दिगम्बर सिंह	
8.	बालेन्द्र	
9.	राकेश	
10.	मोहन सिंह	
11.	विष्णु सिंह	
12.	शेखर सिंह	
13.	अमित सिंह	
14.	गोपाल सिंह	



परियोजना का नाम:- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 4.088 हे० वनभूमि हस्तान्तरण हेतु 4.088 हे० सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिवासी जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

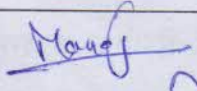
चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि 4.088 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र - 23.1

दिनांक 29/06/18 को ग्रामसभा हरमना की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	अनील सिंह	
2.	रजपाल सिंह	रजपाल सिंह
3.	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
4.	पूखन सिंह	पूखन सिंह
5.	दर्शन सिंह	दर्शन सिंह
6.	गोहश्वरी देवी	गोहश्वरी देवी
7.	बीर सिंह	बीर सिंह
8.	शर्मा सिंह	शर्मा सिंह
9.	गोहश्वरी देवी	
10.	गोहश्वरी देवी	गोहश्वरी देवी
11.	कमल सिंह	कमल सिंह
12.	कमल सिंह	कमल सिंह
13.	चन्दन सिंह	
14.	जगदीश शर्मा	जगदीश शर्मा

परियोजना का नाम:-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

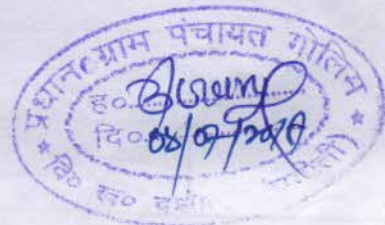
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 4.088 हे० वनभूमि हस्तान्तरण हेतु 4.088 हे० सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदि जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि 4.088 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र - 23.1

दिनांक 03/07/2018 को ग्रामसभा गोलिम की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	नन्दन सिंह फरियाण	
2-	दिनेश सिंह	
3-	मनवरा सिंह	
4.	सिता सिंह	
5-	केके सिंह	
6	जगत सिंह	
7-	हय चन्द अग्रवाल	
8-	सुरेश	
9-	आनन्द कुमार	आनन्द 11/1
10	जसपाल लाल	जसपाल लाल
11.	दिनेश लाल	दिनेश लाल
12.	पंकज सिंह	
13	मन सिंह फरियाण	
14	केके सिंह	
15	न-कासि राय	

